20रु. कोर्ट फी Rs.20
COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निग - 2966 I-16

1. ज्ञान, तनय रामप्रसाद अहिरवार
2. संजय तनय रामप्रसाद अहिरवार
3. गुड्डे बेवा रामप्रसाद अहिरवार
4. गनेश तनय नथू अहिरवार

सभी निवासी गोटेट तह0 लिधौरा
जिला टीकमगढ़ म.प्र. ...आवेदकगण

01 AUG 2016

।।बनाम।।

म.प्र. शासन ... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्वसंहिता 1959 विरूद्ध अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र0क्र0 14/स्व0निग0/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 02.06.2016 से दुखित होकर

मान्यवर महोदय,

आवेदकगणों की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना है :-

1- यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार से है कि आवेदकगणों ने ग्राम गोटेट तह0 लिधौरा जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर-805/2/मि-1/2 रकबा 2.000है0 का पट्टा दिये जाने बावत विधिवत रूप से आवेदन पत्र 000 नायब तहसीलदार वृत लिधौरा तह0 जतारा जिला टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसपरतहसीलदार जतारा द्वारा अपने [illegible] में विधिवत रूप से प्र0क्र0 14अ/19×ब× वर्ष 2000-01 दर्ज किया गया तथा प्रकरण मे विधिवत रूप से इश्तहार जारी किया गया, निर्धारित समयावधि मे कोई भी आपत्तियां प्राप्त ना होने पर प्रकरण मे पटवारी रिपोर्ट ली गई एवं कब्जे के सम्बंध में साक्ष्य ली गई एवं पात्रता इत्यादि की जांच करते हुए उक्तभूमिका पट्टा दिनांक 24.01.2001 को जारी कर दिया गया एवं उक्त पट्टे के विरूद्ध

/

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 2966-एक/2016 जिला-टीकमगढ़

ज्ञान आदि विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के क्रमांक 14/स्व.निग./2013-14 में पारित आदेश दिनांक 02-06-2009 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-08-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	
11.1.19		

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.1.19
सदस्य